सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर

श्री रामसुख बनाम राज. सरकार

किस्म मुकदमा VIS 42 RTA मु0न0 68 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामील में जारी हुए
14-8-19	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मिसल बाद दर्ज रजिस्टर होकर वास्ते सुनवाई हेतु दिनांक 27-8-19 को पेश हो। (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर वकील वादी उपस्थित। वादपत्र पर की गई जांच रिपोर्ट अनुसार अधिवक्ता वादी को वादकारण पर सुना गया। जिन्होंने कथन किए प्रकरण को मेरिट पर साक्ष्य सुनवाई के आधार पर ही तय किया जाना आवश्यक है एवं वाद में प्रतिवादी के सम्मन जारी किये जाने का निवेदन किया। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि मूल वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है जिसमें ग्राम रामखेड़ा धन्नार पटवार हल्का गोहाना की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 18 रकबा 01–10–10 तथा 514/1 के कुल रकबा 34–11–00 किस्म दांती में से 5 बीघा भूमि का कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित करवाने तथा उस पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। उक्त खसरान् जमाबन्दी संवत् 2071–74 में पहाड़िया एवं पर्वत दर्ज है। अधिवक्ता वादी ने ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता हो कि वादग्रस्त सरकारी भूमि पर वादी का कब्जा हो अथवा प्रतिवादीगण द्वारा उन्हें उक्त भूमि बाबत् कोई नोटिस जारी किया हो। केवल मात्र मौखिक कथन कर देने मात्र से वादकारण उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता है। यदि इस प्रकार के वादपत्र को आगे चलाया जाता है तो कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी सिवायचक भूमियों पर बिना वादकारण के ही वाद प्रस्तुत कर देगा जो न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह वादपत्र इसी स्तर पर खारिज़ किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.09 16:09:27 IST
Reason: SelfAttested